FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई मुकाम अराई (अजमेर)

• भंवरलाल पुत्र हरजी जाति भील निवासी ग्राम माला तहसील अराई जिला अजमेर राज0 व अन्य

–प्रार्थीगण

बनाम

• भू–धारी राजस्थानसरकार जरिये तहसीलदार अराई

–अप्रार्थी।

किस्म मुकदमा– धारा 251 (क) भू0राजस्व अधिनियम 1956

नंबर 02/2025

ऑनलाइन नंबर 2025 / ....

वकील वादी:– श्री रामनिवास बैरवा वकील प्रतिवादीगण........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
24.012025	यह वाद पत्र वादीगण की ओर से वकील वादी श्री रामनिवास बैरवा ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 31.01.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
31.1.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। तामील शुदा सम्मन प्राप्त हुए जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी अनु०। पत्रावली वास्ते इन्तजार प्रतिवादी जवाब पत्रावली दिनांक 7.2.25 को पेश हो	
7/2/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारण उप.। इन्तजार प्रतिवादी जवाब पत्रावली दिनांक 12/2/25 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी अरांई	

28/3/25 पत्रावली पेश हुई आज ... बाट हिलाल ... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/3/25 को पेश हो।

21/3/25 पत्रावली पेश हुई आज ... बाट रिडर ... तहसील से [illegible] प्राप्त हुई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/3/25 को पेश हो।

28/3/25

प्रार्थी द्वारा एक प्रा०पत्र वास्ते अर्जेन्ट सुनवाई का पेश करने तथा न्यायहित में उक्त प्रा०पत्र को स्वीकार करने से पत्रावली नियत तिथि से पूर्व आज तलब की गई। वकील प्रार्थी उप० वकील प्रार्थी की प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA पर बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। विस्तृत आदेश पृथक से तैयार कर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति निशा सहारण (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2025

1. मंवरलाल पुत्र हरजी उम्र करीबन बालिगवर्ष जाति भील निवासी ग्राम माला तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
2. ग्यारसीदेवी पत्नि हरजी उम्र करीबन बालिग वर्ष जाति भील निवासी ग्राम माला तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान । प्रार्थीगण....

बनाम

भू–धारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 28/3/2025

उपस्थितः वकील प्रार्थी श्री रामनिवास बैरवा

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील श्री रामनिवास बैरवा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो बाद जांच रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये नोटिस तलबी की गई। प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम माला पटवार हल्का गागून्दा तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान में अवस्थित हैं जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 548 रकबा 0.8899 हैक्टेयर भूमि है, उपरोक्त आराजी में प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 548 रकबा 0.8899 हैक्टेयर है जिसमें प्रार्थीगण के आने–जाने के लिये एवं कृषि यंत्र, अपने मवेशियों, अपनी फसल को निराई–गुडाई, उपयोग–उपभोग एवं कृषि कार्य हेतु मजदूर एवं स्वयं के आने–जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक (Alternative Way) मार्ग उपलब्ध नहीं है। केवल मात्र खसरा नम्बर 543 रकबा 3.7699 हैक्टेयर किस्म खलियान है जो राजकीय भूमि है अप्रार्थी भू–धारी होने से एवं राज्य सरकार के स्वामित्व होने से राजकीय भूमि के लिये सार्वजनिक रास्ता घोषित अथवा प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण अपने पूर्वधिकारों के समय से ही कदमी रूप से राजकीय भूमि खसरा नम्बर 543 की भूमि से पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

आते–जाते है जो मानचित्र में अलग से लाल रंग से ए से बी दर्शित किया गया है जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग माना जावें एवं इसी रास्ते का प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आने–जाने हेतु उपयोग उपभोग अथवा काम में लिया जा रहा है। प्रार्थीगण सद्भाविक कृषक है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 (24) के तहत कृषक की श्रेणी में है। जो कृषक अपनी जोत तक पहुंचने के लियें राज्य सरकार द्वारा संशोधन करके एक कृषक को अपनी जोत तक पहुंचने के लिये 30 फीट के रास्ता का प्रावधान किया गया है जिससे वह कृषि कार्य कर सके। उपरोक्त अंकित रास्ता सरल, लघुतम एवं निर्विवाद है चूंकि राजकिय भूमि में से किसी अन्य काश्तकारों को भी कोई अडचन व व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.06.2013 को क्रमांकः प. 3 (52) राज–6/12/4 को परिपत्र जारी किया गया है जिसमें निर्धारित किया गया है कि राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के सम्बन्ध में परिपत्र जारी किया गया है कि 'यदि कोई खातेदार को अपनी जोत तक पहुँचने के लिये कोई रास्ता नहीं है तो खातेदार राजकीय भूमि से होकर अपनी जोत तक पहुँच सकता है खातेदार द्वारा अपनी जोत तक आने–जाने के लिये रास्ता चाहा जा रहा है।" उक्त समस्या के समाधान के लिये यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुँचने के लिये राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सुविधा के लिये आवेदन करने पर श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जांच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुँचने के लिये वैकल्पिक साधन का अभाव है उक्त स्थिती में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी कृषि भूमि दरो का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रद्वत्त कि गयी भूमि राजस्व अभिलेखो में रास्ते के रूप में अभिलिखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29.09. 2014 को क्रमांक प. 2 (63) राज. –9/2014 को परिपत्र जारी किया गया कि खातेदार को अपनी जोत तक पहुंचने के लिये कोई रास्ता नहीं है और राजकीय भूमि में से ही होकर अपनी जोत तक पहुंच सकता है ऐसी स्थिति में खातेदार द्वारा अपनी जोत का संपरिवर्तन चाहे जाने पर उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में खलियान दर्ज होने के कारण संपरिवर्तन नहीं किया जा सकता है ऐसे प्रकरणों में प्रार्थीगण द्वारा जितनी सरकारी (खलियान) में दर्ज चाही गयी है जिसके बदले डी.एल.सी. रेट के अनुसार निर्धारित मूल्य अप्रार्थी के राजकीय खाते में अदा करने के लिए तत्पर एवं तैयार है।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

इस प्रकार प्रार्थीगण के पास में अन्य कोई सरलतम, निकटतम, लघुतम रास्ता नहीं है केवल मात्र खसरा नम्बर 543 राजकीय भूमि हैं जिससे प्रार्थीगण कदमीरूप से आते–जाते रहे है अन्य कोई सुलभ, सरलतम व लघुतम व वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं, प्रार्थीगण के लिये उक्त रास्ता अत्यन्त आवश्यक है। प्रत्येक काश्तकार को अपनी भूमि पर पहुंच के लिये रास्ता होना विधि अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी है तथा उक्त अधिकार प्रत्येक काश्तकार विधि द्वारा उपरोक्त प्रावधान अधीन संरक्षित किया गया है। प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में किसी तरह की कोई दुर्भावना नहीं है। प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में संशोधित प्रावधान धारा 251–क के तहत पेश किया जा रहा है जिसमें प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में रास्ता हेतु आदेश होने पर वर्तमान डी.एल.सी. रेट के अनुसार जो मूल्य निर्धारित किया गया है प्रार्थीगण द्वारा सद्भाविक रूप से निर्धारित मूल्य को राजकीय कोष में जमा कराने के लिए तत्पर व तैयार है। प्रार्थीगण निम्न प्रकार से प्रार्थना करते है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम माला पटवार हल्का गागून्दा तहसील अंराई में अवस्थित हैं जिसके खसरा नम्बर 548 है एवं खातेदारी की भूमि पर में आने जाने एवं मवेशी, ट्रेक्टर ट्रोली, कृषि यंत्र लाने, ले जाने हेतु खसरा नम्बर 543 राजकीय भूमि में से संलग्न नजरी नक्शा में ए से बी दर्शित अनुसार 30 फीट चौडा रास्ता दिलवाने के आदेश प्रदान करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में डी.एल.सी. रेट के अनुसार निर्धारित मूल्य अप्रार्थी के राजकीय खाते में अदा करने के लिए तत्पर एवं तैयार है।

2. प्रार्थना पत्र को दिनांक 24.01.2025 को दर्ज किया गया तथा तहसीलदार अरांई की तलबी करवाई गई। दिनांक 12.03.2025 को तहसीलदार अरांई द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई जिसमें उनके द्वारा जाहिर किया गया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ग्राम माला के ख.न.543 रकबा 3.7699 हैक्टेयर किस्म खलियान में स्थित है। रास्ते हेतु आवश्यक भूमि का रकबा 900 वर्ग मीटर (0.0900 हैक्टेयर) है। उक्त भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर 442000 रुपये प्रति हैक्टेयर है तथा प्रार्थी आवेदित रकबे 0.09 हैक्टेयर की निर्धारित मूल्य 39780 रुपये राजकोष में जमा कराने को तैयार है। प्रस्तावित भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है तथा पूर्व में कोई राजकीय प्रयोजनार्थ प्रस्ताव नहीं भिजवाया गया है। मौके पर वर्तमान में रास्ता चालू है। प्रस्तावित भूमि किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित श्रेणी (नदी, नाले) एवं बहाव क्षेत्र में स्थित नहीं है।

3. दिनांक 28.03.2025 को वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र ए के तथ्यों को दोहराया गया। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थीगणों की ग्राम माला स्थित भूमि खसरा संख्या 548 आवागमन हेतु कोई अन्य निकटतम अथवा वैकल्पिक मार्ग नहीं है तथा प्रार्थीगणों को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है, तहसीलदार अरांई द्वारा पेश रिपोर्ट में अनुशंषा की गई कि प्रार्थीगणों की आराजी खसरा संख्या 548 में से आवागमन हेतु केवल खसरा संख्या 543 में से ही रास्ता है, प्रार्थी को अपनी खातेदारी में आवागमन के लिये खसरा संख्या 543 में से रास्ता दिया जा सकता है जिसके लिये प्रस्तावित रकबा 0.09 हैक्टेयर है तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर 4,42,000 रुपये प्रति हैक्टेयर के अनुसार दुगुनी निर्वापित राशि (39780 x 2 = 79560/– अक्षरे उनासी हजार पांच सौ साठ रूपये) मात्र बनती है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई भी निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः तहसीलदार किशनगढ की अनुशंषा एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है।

<u>आदेश</u>

4. अतः उपुर्यक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) को स्वीकार किया जाता है तथा राजकीय भूमि खसरा संख्या 543 में प्रस्तावित रास्ते हेतु अधिग्रहित रकबा 0.0900 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाकर वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर 4,42,000 रुपये प्रति हैक्टेयर के अनुसार दुगुनी निर्वापित राशि (39780 x 2 = 79560/– अक्षरे उनासी हजार पांच सौ साठ रूपये) होगी , जो प्रार्थी द्वारा, 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजीट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी। प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0900 हैक्टेयर भूमि का प्रतिभूति राशि 79560/– अक्षरे उनासी हजार पांच सौ साठ रूपये तहसीलदार अरांई के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अरांई को आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रतिभूति राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात् उनकी रिपोर्ट क्रमांक 1188 दिनांक 12.03.2025 के साथ संलग्न मौका पर्चा अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.0900 हैक्टैयर भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28/3/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(निशा सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)